

प्रेस नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 11.08.2025

थाना सुल्तानपुर घोष पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के अभियोग से संबंधित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अपराध नियंत्रण एवं अभियान गिरफ्तारी वांछित/वारंटी के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खागा के निकट पर्वेक्षण में आज दिनांक 11.08.2025 को थाना सु0 घोष पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 147/2025 धारा 105,238(बी) बीएनएस-2023 मे वांछित/फरार चल रहे अभियुक्त मनोज कुमार यादव पुत्र स्व0संत कुमार उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम बैरहना मजरे रसूलपुर भण्डरा थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर को थाना सुल्तानपुर घोष पुलिस बल द्वारा समय 10.35 बजे हसनपुर मोड़ बहद ग्राम हसनपुर कसार थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर से गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर मा0न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने हेतु भेजा गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक- 10.08.2025 को समय करीब 06.00 बजे थाना सु0 घोष पर सूचना मिली की ग्राम बैरहना मजरे रसूलपुर भण्डरा में राज पुत्र राजू रैदास निवासी ग्राम भवनी का पुरवा मजरे रसूलपुर भण्डरा थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर की करेन्ट लगने से मृत्यु हो गयी है और शव खेत के किनारे पड़ा है। वादी के राजू रैदास पुत्र सूरज बली निवासी ग्राम भवनी का पुरवा मजरे रसूलपुर भण्डरा थाना सु0घोष द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-147/2025 धारा 105,238(बी) बीएनएस का अभियोग विरुद्ध मनोज कुमार यादव पुत्र स्व0संत कुमार उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम बैरहना मजरे रसूलपुर भण्डरा थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. मनोज कुमार यादव पुत्र संत कुमार उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम बैरहना मजरे रसूलपुर भण्डरा थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर

बरामदगी का विवरण:-

1. बिजली का दो कोर का तार लम्बाई करीब 146 हाथ व लोहे का पतला खुला तार वजन करीब 600 ग्राम।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रा0नि0 श्री तेज बहादुर सिंह थाना सु0घोष जनपद फतेहपुर।
2. उ0नि0 राय साहब यादव चौकी प्रभारी अफोई, थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर।
3. उ0नि0 राकेश कुमार
4. हे0का0 अजय कुमार सिंह
5. का0 अभिषेक मौर्या
6. का0 इन्द्रवीर सिंह